

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 40/16-17



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

ठिन्हा नायक वो शिबू नायक

- विक्रेता

काली हरिजन

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर										
16.11.18	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक 1. ठिन्हा नायक पिता स्व0 पैरू घासी 2. शिबू नायक पिता ठिन्हा नायक ग्राम-तोरपा हरिजन टोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने काली हरिजन पिता होदो घासी ग्राम-तोरपा हरिजन टोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी, के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं0</th><th>खाता नं0</th><th>खेसरा सं0</th><th>रकबा (एकड में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>तोरपा</td><td>53</td><td>137</td><td>2633</td><td>0.20</td></tr></tbody></table> <p>अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 652 दिनांक 06.11.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात आवेदक भूमिहीन होने के कारण जमीन बेचने की अनुशंसा नहीं की गयी है। अतः जाँच प्रतिवेदन के आधार पर वाद अस्वीकृत की जाती है।</p> <p>अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)	तोरपा	53	137	2633	0.20
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)							
तोरपा	53	137	2633	0.20							